रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.)-127

केन्द्रीय सचिवालय पुस्तकालय CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY GOVT. OF INDIA भारत सरकार

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 476] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 6, 1989/भाद्र 15, 1911
No. 476] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 6, 1989/BHADRA 15, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

श्रम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 1989

सा. का. नि. 818(अ).—धातु उत्पादक खान विनियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए कतिपय विनियमों का प्रारूप, खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) की धारा 59 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा. का. नि. 495(अ), तारीख 27 अप्रैल, 1988 के अधीन, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 27 अप्रैल, 1988 में प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन मास की अवधि के अवसान तक आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे;

और उक्त राजपत्र 30 मई, 1988 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रारूप के संबंध में प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया है।

अब, अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 57 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के अधीन गठित समिति की उक्त प्रारूप निर्दिष्ट करने के पश्चात् और उक्त अधिनियम की धारा 59 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार उसकी उक्त विनियमों को बनाने की समीचीनता और उनकी उपयुक्तता के संबंध में रिपोर्ट करने का युक्तियुक्त अवसर दिए जाने के पश्चात् धातु उत्पादक खान विनियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. इन विनियमों का संक्षिप्त नाम धातु उत्पादक खान (संशोधन) विनियम, 1989 है।

2. धातु उत्पादक खान विनियम, 1961 में (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त विनियम कहा गया है)। विनियम 11 के उपविनियम (12) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परन्तु यदि किसी बैठक में पूर्वोक्त के अनुसार गणपूर्ति नहीं होती है तो, बैठक स्वतः ही ऐसी तारीख के लिए जो उसके सात दिन पश्चात् हो और यदि उस तारीख को सार्वजनिक छुट्टी है तो, उससे अगले कार्य दिवस के लिए स्थगित हो जाएगी। स्थगित बैठक के समय, स्थान और

कार्य सूची में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तब ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्यों की संख्या पर विचार किए बिना कारबार को निपटाना विधिपूर्ण होगा।"

3. उक्त विनियमों के विनियम 13 के दूसरे परंतुक का लोप किया जाएगा।

4. उक्त विनियमों के विनियम 15 के उपविनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपविनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(2) किसी भी व्यक्ति को प्रबंधक, सर्वेक्षण या फ़ोरमैन के प्रमाणपत्र के लिए किसी भी परीक्षा में अभ्यर्थी के रूप में तब तक बैठने नहीं दिया जाएगा जब तक उसने किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से माध्यमिक विद्यालय परीक्षा या उसके समतुल्य कोई परीक्षा उत्तीर्ण न कर ली हो तथा मेट, इंजन चालक या विस्फ़ोटकर्ता प्रमाणपत्र के लिए तब तक बैठने नहीं दिया जाएगा जब तक उसने बोर्ड का यह समाधान न कर दिया हो कि वह पढ़ा-लिखा है;

परन्तु उपविनियम (2) में की किसी बात से यह न समझा जाएगा कि वह उस व्यक्ति को, जो उसके उपबंधों का समाधान नहीं करता है, 1 जनवरी, 1992 को या उससे पूर्व फोरमैन के प्रमाणपत्र के लिए किसी परीक्षा में बैठने से विवर्जित करती है, यदि उसे पहले उक्त प्रमाणपत्र के लिए परीक्षा में बैठने दिया गया था"।

5. उक्त विनियमों के विनियम 21 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"21. प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए फ़ीस—(1) प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए प्रत्येक आवेदक को बाबत निम्नलिखित मापमान से फ़ीस संदत्त की जाएगी :—

(क) प्रथम वर्ग प्रबंधक के प्रमाणपत्र की दशा में	100 रुपए
(ख) द्वितीय वर्ग प्रबंधक के प्रमाणपत्र की दशा में	75 रुपए
(ग) सर्वेक्षण के प्रमाणपत्र की दशा में	50 रुपए
(घ) फ़ोरमैन के प्रमाणपत्र की दशा में	50 रुपए
(ङ) मेट के प्रमाणपत्र की दशा में	30 रुपए
(च) प्रथम वर्ग इंजन चालक के प्रमाणपत्र की दशा में	30 रुपए
(छ) द्वितीय वर्ग इंजन चालक के प्रमाणपत्र की दशा में	25 रुपए
(ज) विस्फ़ोटकर्ता के प्रमाणपत्र की दशा में	25 रुपए
(झ) गैस परीक्षण प्रमाणपत्र की दशा में	25 रुपए

(2) मुख्य निरीक्षक, उपविनियम (1) के अधीन संदत्त किसी फ़ीस का प्रतिदाय उस दशा में अनुज्ञात कर सकेगा जिसमें कि अभ्यर्थी प्रमाणपत्र को प्रदान करने के लिए परीक्षा से पूर्व मर गया है या जिसमें कि फ़ीस गलती से संदत्त की गई है।

(3) उपविनियम (2) में यथाविनिर्दिष्ट के सिवाय किसी प्रमाणपत्र का प्रदान करने के लिए एक बार संदत्त फ़ीस प्रतिदेय नहीं होगी।"।

6. विनियम 22 के उपविनियम (1) में "अनुबंध करें" शब्दों के स्थान पर "विहित करें" शब्द रखे जाएंगे।

7. उक्त विनियमों के विनियम 29 का लोप किया जाएगा।

8. उक्त विनियमों के विनियम 29 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"29. प्रबंधक, सर्वेक्षक, फ़ोरमैन, मेट, इंजन चालक, विस्फ़ोटक या गैस परीक्षण प्रमाणपत्र का निलंबन, रद्दकरण :—

(1) यदि प्रादेशिक निरीक्षक की यह राय है कि प्रबंधक, सर्वेक्षक, फ़ोरमैन, मेट, इंजन चालक विस्फ़ोटक या गैस परीक्षण प्रमाणपत्र का कोई धारक यदि इस अधिनियम या इन विनियमों के अधीन अपने कर्तव्यों का अनुपालन करने में अक्षम या उपेक्षा या अवचार का दोषी है तो वह मामले की बोर्ड को जानकारी देगा। बोर्ड लिखित में उस निरीक्षक की पंक्ति से अन्यून की पंक्ति के किसी निरीक्षक को, जिसकी रिपोर्ट उक्त राय कायम करने का आधार बनी, यह अवधारित करने के लिए जांच करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा कि क्या कोई व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् अपचारी कहा गया है) ऐसा प्रमाणपत्र धारण करने के लिए उपयुक्त है या नहीं। बोर्ड जांच प्रारंभ करने से पूर्व, अपचारी को उस मामले का एक विवरण देगा जिन पर जांच संस्थित की गई है।

(2) ऐसी जांच के दौरान जांच करने के लिए प्राधिकृत निरीक्षक का सभी सुसंगत दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएंगे और वह—

(क) किसी ऐसे साक्षी के साक्ष्य को, जो उक्त राय का आधार बना हो;

(ख) ऐसे किसी साक्ष्य को, जिसे अपचारी देना चाहता हो;

(ग) किसी ऐसे साक्षी के साक्ष्य को जिसे अपचारी पेश करना चाहता हो;

(घ) खान प्रबंधक के साक्ष्य को; और

(ङ) ऐसे किसी अन्य साक्ष्य को जिसे जांच करने वाला निरीक्षक आवश्यक या सुसंगत समझे, अभिलिखित करेगा।

जब तक कि अपचारी पर्याप्त सूचना के बावजूद उपस्थित रहने में असफल न रहा हो, पूर्वोक्त साक्ष्य अपचारी की उपस्थिति में अभिलिखित किया जाएगा और उसे साक्षियों की (उनसे भिन्न जो उसके द्वारा पेश किए गए हैं) प्रतिपरीक्षा करने का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा। जांच करने वाला निरीक्षक भी अपचारी और साक्षियों की प्रतिपरीक्षा कर सकेगा।

(3) वह निरीक्षक, जिसने जांच की है, जांच के समापन की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर, बोर्ड को, अपने निष्कर्ष, जांच के दौरान अभिलिखित साक्ष्य के टिप्पण और अन्य अभिलेख सहित रिपोर्ट भेजेगा।

(4) साक्ष्य के टिप्पणों की प्रतियां और उस निरीक्षक के निष्कर्ष जिसने जांच की है, अपचारी को भी भेजे जाएंगे जो ऐसी प्रतियों के भेजने की तारीख से तीस दिन के भीतर बोर्ड को लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकेगा।

(5) बोर्ड साक्ष्य और अन्य अभिलेखों तथा अपचारी द्वारा प्रस्तुत किए गए किसी लिखित अभ्यावेदन, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् या तो मामले में और जांच करवाएगा। और उसके आधार पर या अन्यथा अपचारी को उसके विरुद्ध आक्षेपों से माफ़ी दे देगा या, जैसा वह उचित समझे, प्रमाणपत्र को निलंबित या रद्द कर देगा।

(6) इस विनियम के अधीन बोर्ड के किसी आदेश के विरुद्ध, आदेश के 30 दिन के भीतर केन्द्रीय सरकार के समक्ष कोई अपील की जा सकेगी।

(7) जहां इस विनियम के अधीन कोई प्रमाणपत्र निलंबित या रद्द किया जाता है वहां ऐसे प्रमाणपत्र पर या विनियम 26 के अधीन जारी की गई उसकी दूसरी प्रति पर उपयुक्त पृष्ठांकन किया जाएगा।"

9. उक्त विनियमों के विनियम 34 के उपविनियम (2) के तीसरे परंतुक का लोप किया जाएगा।

10 उक्त विनियमों के विनियम 44 के उपविनियम (8) में,—

(क) "और रेखांक" शब्दों के स्थान पर "और रेखांक तथा सेक्शन और जहां साध्य हो वहां फोटोग्राफ या फोटोग्राफों" शब्द रखे जाएंगे; और

(ख) "इस प्रयोजन के लिए रखी गई पुस्तक" शब्दों के पश्चात् "उसकी एक प्रति दुर्घटना के पन्द्रह दिन के भीतर प्रादेशिक निरीक्षण को दी जाएगी" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

11. उक्त विनियमों के विनियम 108-क में,—

(क) उपविनियम (1) में, विद्यमान परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु यह और कि रजिस्टर में की गई कोई प्रविष्टि या उसमें किसी प्रविष्टि का अभाव और पहले परंतुक के अनुसरण में कोई संसूचना या उसका अभाव, किसी व्यक्ति के कर्त्तव्यों या बाध्यताओं को अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए विनियमों, नियमों, उपविधियों या आदेशों के अधीन किसी भी रीति से प्रभावित नहीं करेगा।"

(ख) उपविनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपविनियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

(2) जब रजिस्टर में कोई प्रविष्टि की जाती है, तो,—

(क) स्वामी, अभिकर्ता और प्रबंधक प्रत्येक, को प्रविष्टि की जानकारी होना समझा जाएगा; और

(ख) उसकी एक प्रति ऐसी प्रविष्टि की तारीख के तीन दिन के भीतर खान के सूचना पट्ट पर पंद्रह दिन से अन्यून अवधि के लिए संप्रदर्शित की जाएगी।"

(ग) उपविनियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपविनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(4) रजिस्टर—

(क) रजिस्टर में अंतिम प्रविष्टि करने की तारीख के पश्चात् कम से कम तीन वर्ष की अवधि के लिए खान के कार्यालय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध करवाने के लिए रखा जाएगा, और

(ख) उसे उक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व, निरीक्षक द्वारा या उसके लिखित रूप में अनुमोदन के सिवाय, वहां से हटाया नहीं जाएगा।"

12. उक्त विनियमों के विनियम 195 में,—

(क) पार्श्व शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित पार्श्व शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात्:—

"समिति को अपीलें—"

(ख) उपविनियम (1) में "मुख्य निरीक्षक के नीचे विनिर्दिष्ट किसी आदेश के विरुद्ध" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रखे जाएंगे, अर्थात्:—

"इन विनियमों में से किसी के अधीन मुख्य निरीक्षक द्वारा किए गए किसी मूल आदेश के विरुद्ध या प्रादेशिक निरीक्षक के आदेश के विरुद्ध किसी अपील पर मुख्यनिरीक्षक द्वारा विनियम 194 के अधीन पारित किसी आदेश के विरुद्ध";

(ग) उपविनियम (1) के खंड (i) और खंड (ii) का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. एम-66012/2/86-आई.एस.एच.-II]
राम तिलक पाण्डेय, उपसचिव

MINISTRY OF LABOUR

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th Sept., 1989

G.S.R. 818 (E):—Whereas the draft of certain regulations further to amend the Metalliferous Mines Regulations, 1961, was published by sub-section (1) of section 59 of the Mines Act, 1952 (35 of 1952), in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) dated the 27th April, 1988, under the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. G.S.R. 495 (E) dated the 27th April, 1988, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, till the expiry of a period of three months from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 30th May, 1988;

And whereas the objections and suggestions received from the public on the said draft have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 57 of the said Act, the Central Government, after referring the said draft to the Committee constituted under the said Act and after giving it a reasonable opportunity of reporting as to the expediency of making of the said regulations and as to the suitability thereof as required by Sub-section (4) of Section 59 of the said Act, hereby makes the following regulations, further to amend the Metalliferous Mines Regulations, 1961, namely:—

1. These regulations may be called the Metalliferous Mines (Amendment) Regulations, 1989.

2. In the Metalliferous Mines Regulations, 1961 (hereinafter referred to as the said regulations), after sub-regulation (12) of regulation 11, the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that if at any meeting, there is no quorum as aforesaid, the meeting shall automatically stand adjourned to a date which is seven days later and if that date is a public holiday, to the next working day, the time, place and agenda for the adjourned meeting remaining unchanged. It shall thereupon be lawful to dispose of the business at such adjourned meeting irrespective of the number of members attending."

3. The second proviso to regulation 13 of the said regulations shall be omitted.

4. For sub-regulation (2) of regulation 15 of the said regulations, the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

"(2) No person shall be admitted as a candidate to any examination for a Manager's, Surveyor's or Foreman's Certificate unless he had passed Secondary School examination of a recognised Board or its equivalent and for a Mate's Engine Driver's or Blaster's certificate unless he satisfies the Board that he is literate; Provided that nothing in sub-regulation (2) shall be deemed to debar a person not satisfying the provisions thereof from being admitted at an examination for a Foreman's Certificate on or before the 1st day of January 1992, if he had been admitted at an examination for the said certificate earlier."

5. For regulation 21 of the said regulations, the following regulation shall be substituted namely:—

"21. Fees for grant of certificate:—(1) Fees on the following scale shall be paid in respect of every application for grant of a certificate:—

(a)	in the case of a First Class Manager's Certificate	Rs. 100.00
(b)	in the case of a Second Class Manager's Certificate	Rs. 75.00
(c)	in the case of a Surveyor's Certificate	Rs. 50.00
(d)	in the case of a Foreman's Certificate	Rs. 50.00
(e)	in the case of a Mate's Certificate	Rs. 30.00
(f)	in the case of a First Class Engine Driver's Certificate	Rs. 30.00
(g)	in the case of a Second Class Engine Driver's Certificate	Rs. 25.00
(h)	in the case of a Blaster's Certificate	Rs. 25.00
(i)	in the case of a Gas-testing Certificate	Rs. 25.00

(2) The Chief Inspector may permit the refund of any fee paid under sub-regulation (1) if the candidate has died before the examination for grant of a certificate or the fee has been erroneously paid.

(3) Except as specified in sub-regulation (2), fee once paid for the grant of a certificate shall not be refunded.

6. In sub-regulation (1) of Regulation 22, for the word 'stipulate' the word 'prescribe', shall be substituted.

7. Regulation 28 of the said regulations shall be omitted.

8. For regulation 29 of the said regulations, the following regulation shall be substituted, namely:—

"29. Suspension or cancellation of Manager's, Surveyor's, Foreman's, Mate's, Engine-driver's, Blaster's or Gas-testing Certificate:—(1) If the Regional Inspector is of the opinion that the holder of a Manager's, Surveyor's, Foreman's, Mate's, Engine-driver's, Blaster's or Gas-testing certificate is incompetent or is guilty of negligence or misconduct in the performance of his duties under the Act or under these regulations, he shall bring the matter to the notice of the Board. The Board may authorise in writing an Inspector, not being and not below the rank of the Inspector whose report formed the

basis of the said opinion, to hold an enquiry to determine whether or not such a person (hereinafter referred to as the delinquent) is fit to continue to hold such certificate. The Board shall, before the beginning of the enquiry, furnish to the delinquent a statement of the case on which the enquiry is instituted.

(2) During such enquiry the Inspector authorised to conduct the enquiy shall be provided with all relevant documents and he shall record:—

(a) the evidence of any witness that formed the basis of the said opinion;

(b) any evidence that the delinquent may like to give;

(c) the evidence of any witness that the delinquent may like to produce;

(d) the evidence of Manager of the mine; and

(e) any other evidence that may be considered necessary or relevant by the Inspector conducting the enquiry.

Unless the delinquent fails to be present in spite of sufficient notice, the evidence aforesaid shall be recorded in the presence of the delinquent and he shall be given a reasonable opportunity to cross-examine the witness (other than those produced by him). The Inspector conducting the enquiry also may cross-examine the delinquent and the witnesses.

(3) The Inspector who conducted the enquiry shall, within fifteen days from the date of the conclusion of his enquiry, send a report to the Board together with his findings, the notes of evidence recorded during the enquiry and other relevant records.

(4) Copies of the notes of evidence and the findings of the Inspector who conducted the enquiry shall also be sent to the deliquent who may submit his written representation to the Board within thirty days from the date of despatch of such copies.

(5) The Board may, after considering the evidence and other records and the written representation, if any, submitted by the delinquent, either cause further enquiry to be made in the case and thereupon, or otherwise, either exonerate the delinquent of the charges against him or suspend or cancel the certificate, as it deems fit.

(6) Against any order of the Board under this regulation, an appeal shall lie before Central Government, within 30 days of the order.

(7) Where a certificate is suspended or cancelled under this regulation, suitable endorsement may be made on such certificate or a duplicate thereof issued under regulation 26."

9. The third proviso to sub-regulation (2) of regulation 34 of the said regulations, shall be omitted.

10. In sub-regulation 8 of regulation 44 of the said regulations:—

(a) for the words "and a plan" the words "and a plan and sections and wherever practicable, a photograph or photographs" shall be substituted; and

(b) after the words "books kept for the purpose" the words "and a copy thereof shall be furnished to the Regional Inspector within fifteen days of the accident" shall be inserted.

11. In regulation 108 A of the said regulations:-

(a) in sub-regulation (1), after the existing proviso, the following shall be inserted, namely:-

"Provided further that an entry made in the register or the absence of any entry therein as also a communication in pursuance of the first proviso or absence thereof shall not, in any way, limit the duties or obligations of a person under the Act or the regulations, rules, bye-laws or orders made thereunder."

(b) for sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

"(2) When an entry is made in the register:

(a) the owner, agent and manager shall each be deemed to know the entry; and

(b) a copy thereof shall be displayed within three days of the date of such entry on the notice board of the mine for not less than fifteen days."

(c) after sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be inserted, namely:—

"4. The register—

(a) shall be kept available for inspection in the office at the mine for a period of at least three years after the date of making of the last entry therein: and

(b) shall not be removed therefrom before the expiry of the said period except by or with the approval in writing of the Inspector."

12. In regulation 195 of the said regulations:-

(a) for the marginal heading the following marginal heading shall be substituted, namely:-

"Appeals to the Committee.-"

(b) in sub-regulation (1) for the words "Against any order of the Chief Inspector specified below", the following words shall be substituted, namely:- "Against any original order made by the Chief Inspector under any of these regulations or against any order passed under regulation 194 by the Chief Inspector or an appeal against Regional Inspector's Order":

(c) Clauses (i) and (ii) of sub-regulation (1) shall be omitted.

[File No. S-66012/2/86-ISH. II]

R.T. PANDEY, Dy. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1989